<u>समाचार</u>

व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, साप्ताहिक बाजारों के क्षेत्रवार साप्ताहिक अवकाश निर्धारित

कोरबा 14 अगस्त 2020 –कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के आदेश क्र./ 11737/सां. लि./2020 कोरबा दिनांक 10.08.2020 के परिपालन में आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस नियंत्रण के अधीन निगम क्षेत्र में व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, सब्जी बाजारों, साप्ताहिक बाजारों के साप्ताहिक अवकाश निर्धारित करते हुए निर्धारित तिथियों में पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार **व्यवसायिक संस्थानों व दुकानों हेतु** कोरबा व टी.पी.नगर क्षेत्र के लिए मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसी प्रकार कोसाबाड़ी निहारिका क्षेत्र के लिए बुधवार को साप्ताहिक अवकाश, बांकीमोंगरा, कुसमुण्डा क्षेत्र के लिए गुरूवार को साप्ताहिक अवकाश तथा बालको, दर्री क्षेत्र के लिए शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित साप्ताहिक अवकाश में संबंधित क्षेत्र के संस्थान व दुकान व्यवसाय पूर्णतः बंद रहेंगे। इसी प्रकार **निगम क्षेत्र के सब्जी बाजार, साप्ताहिक बाजार दिवस** पर निम्नलिखित अनुसार पूर्णतः बंद रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार मुड़ापार–बांकीमोंगरा साप्ताहिक बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। बालको–चुनचुनी के साप्ताहिक बाजार मंगलवार को, बुधवारी साप्ताहिक बाजार बुधवार को, कोरबा साप्ताहिक बाजार गुरूवार को, मानिकपुर–घुड़देवा बाजार शुक्रवार को, मुड़ापार बाजार शनिवार को एवं कोरबा व दर्री बाजार रविवार को बंद रखें जाएंगे।